

मोहासा-बावई में औद्योगिक विकास के लिये भूमि आवंटन की गई

चर्चा में क्यों?

13 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सहि चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रपरिषद द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बावई की भूमि विभिन्न उद्योगों के आवंटन के संदर्भ में नरिणय लया गया ।

प्रमुख बडु

- मंत्रपरिषद ने औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बावई की भूमि विभिन्न उद्योगों के आवंटन के संदर्भ में नमिनानुसार नरिणय लया है-
- मोहासा-बावई में 54 एकड़ क्षेत्रफल को भारत सरकार की योजनांतरगत ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के वनरिमाण हेतु आरक्षण कया जाने की अनुमतप्रदान की गई है ।
- मोहासा-बावई में आवंटन योग्य 686 एकड़ भूमि पर टेक्सटाईल, गारमेंट, खादय प्रसंस्करण एवं अन्य सेक्टर के उद्योगों हेतु भूमि आवंटन कया जाने हेतु अनुमति दी गई है ।
- औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बावई में प्रतबिद्ध नविशकों को इकाई स्थापना हेतु वशिषिट लोकेशन में औद्योगिक भूमि उपलब्धता सुनश्चित करने के दृष्टगत मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नयिम, 2014 के अंतरगत भू-आवंटन की ऑनलाईन पद्धति को शथिल करते हुए, भूखंडों का आवंटन ऑफलाईन पद्धति से कया जाने का अनुमोदन कया गया है ।
- इकाईयों को नयिम अनुसार नरिधारति प्रारूप में अपना आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, एमपीआईडीसी भोपाल में प्रस्तुत करना होगा । क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी को प्रेषति कया जाएगा ।
- प्रमुख सचवि, औद्योगिक नीति एवं नविश प्रोत्साहन वभिग की अध्यक्षता में गठति समति द्वारा संबंधति इकाईयों को भू-आवंटन हेतु नरिणय लया जाएगा ।
- औद्योगिक क्षेत्र में भू-आवंटन के लयि टेक्सटाईल एवं गारमेंट सेक्टर, फूड प्रोसेसगि जैसे रोजगारमूलक इकाईयाँ प्राथमकता की श्रेणी में चहिनति कया जाएगा ।
- मोहासा-बावई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापति की जाने वाली इकाईयों को प्रचलति औद्योगिक नीति अनुसार वदियुत टैरफि एवं वदियुत शुल्क से संबंधति सुवधियों को छोड़कर नीति के प्रावधानों अनुसार अन्य लाभ/ सुवधि प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
- मोहासा-बावई में प्रस्तावति स्थापति इकाईयों को नविश संवर्धन पर मंत्रपरिषद समति (CCIP) से पृथक् से भू-प्रब्याजी/ वकिस शुल्क में अतरकित छूट/रयायत संबंधी पात्रता प्राप्त करने की सुवधि नहीं होगी ।
- इकाई को मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नयिम, 2019 अनुसार भूमि के मूल्य में छूट/रयायत प्राप्त कया जाने की पात्रता नहीं होगी अरथात इकाई की भू-प्रब्याजी मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नयिम, 2019 अनुसार भूमि के वास्तवकि मूल्य के समतुल्य होगी ।
- भूखंड के आवंटन हेतु प्रब्याजी एवं वकिस शुल्क की छूट के संदर्भ में कोई आदेश होने पर उक्त आदेश औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बावई में प्रभावी नहीं होंगे ।
- मोहासा-बावई में प्रस्तावति/स्थापति इकाईयों से वदियुत प्रदाय संबंधी अनुबंध को मध्य प्रदेश वदियुत नयिमक आयोग के नरिदेशों एवं रेगुलेशन के अंतरगत कया जाएगा ।
- भोपाल, मंडीदीप एवं बुदनी में बड़ी टेक्सटाईल एवं गारमेंट इकाईयों की स्थापना होने से मोहासा-बावई औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाईल कंपनयिों जैसे-बेसट कारपोरेशन, इंडोरामा, महमा फाइबरस, वर्धमान आदि द्वारा भूमिकी मांग की जा रही है ।